निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

संदर्भ मार्गदर्शिका

कक्षा 12 के लिए

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन साक्षरता क्लब

संदर्भ मार्गदर्शिका

कक्षा 12 के लिए

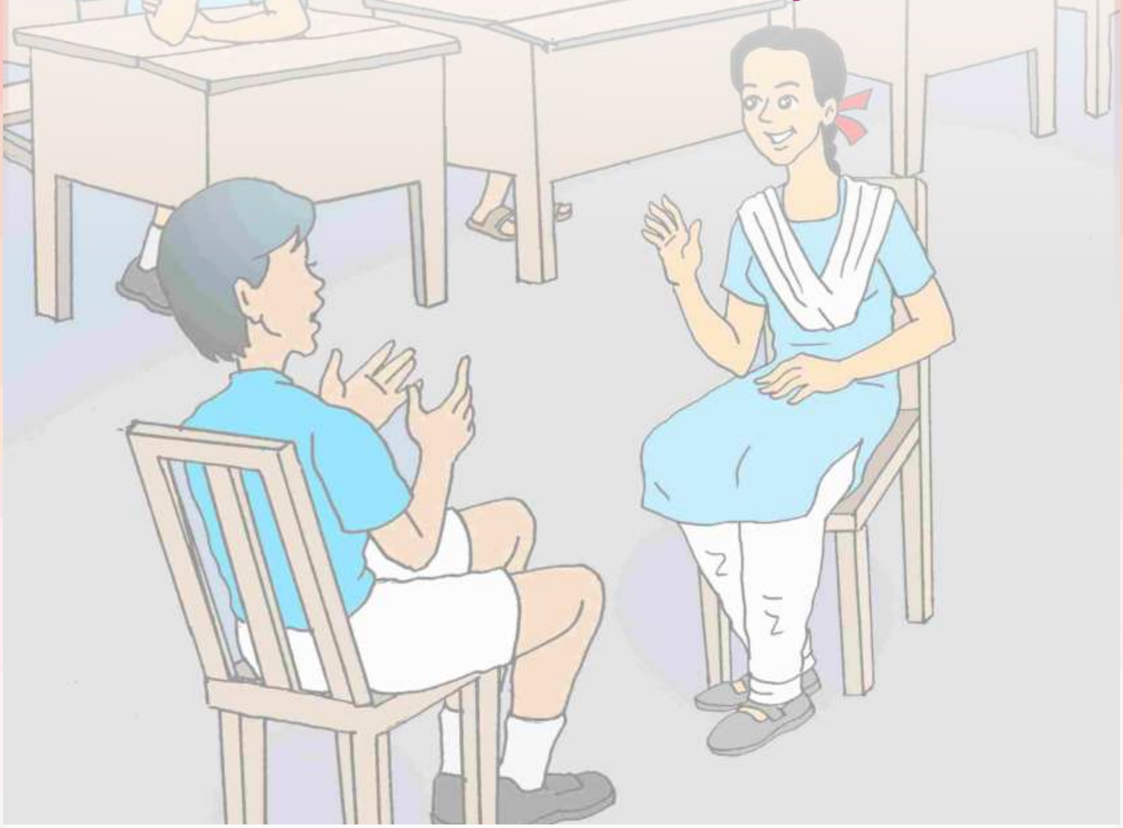

हर वोट महत्वपूर्ण है

प्रस्तावना

इस संदर्भ मार्गदर्शिका में निर्वाचन साक्षरता क्लब के कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग 17–18 वर्ष के विद्यार्थियों को चुनावी साक्षरता से सम्बन्धित जो संदेश देना चाहता है, उसे ध्यान में रखते हुए ये गतिविधियाँ बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई हैं। इस संदर्भ मार्गदर्शिका में गतिविधियों के सम्पादन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इसलिए यह मार्गदर्शिका **निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयोजक के लिए निर्देश पुस्तिका या मैनुअल** के रूप में कारगर सिद्ध होगी।

क्लब संयोजक और नोडल अधिकारी इस संदर्भ मार्गदर्शिका में दी गई सभी या अधिक से अधिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे। वे इन गतिविधियों को इस तरह से संचालित करेंगे कि विद्यार्थी उनके माध्यम से दिए गए संदेशों को ग्रहण कर सकें। फिर भी, इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि अपने शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक कक्षा 12 के विद्यार्थी इन गतिविधियों से इतना तो सीख ही सकें–

1. विद्यार्थियों को प्रतिनिधि लोकतंत्र, चुनाव व मतदान की अवधारणा को जानना चाहिए।
2. विद्यार्थियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की प्रक्रिया से भली–भाँति अवगत होना चाहिए।
3. विद्यार्थियों को भारतीय चुनावों के महत्त्व के बारे में जानना चाहिए।
4. विद्यार्थियों को स्वयं को निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करवाने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होना चाहिए।
5. विद्यार्थियों को अपने वोट का मूल्य समझना चाहिए तथा वोट देने के अपने अधिकार का विश्वासपूर्वक, सुविधाजनक तरीके से और नैतिकता के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार होना चाहिए।

विषय सूची

1. परिचय 05
2. उद्देश्य 05
3. स्वरूप 06
4. सदस्य और कार्यकारिणी समिति 06
5. नोडल अधिकारी और उनके दायित्व 06
6. संयोजक 07
7. आयोजन-स्थल 07
8. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्र 07
9. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम 08
10. गतिविधियाँ 08
11. सत्रों का स्वरूप 09
12. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश 09
13. निर्देशों सहित गतिविधियाँ 10
    - i) चुनाव पत्रिका 11
    - ii) निर्वाचित्र– फिल्म प्रदर्शन 13
    - iii) लोकसभा 2019 पर फिल्म का प्रदर्शन 16
    - iv) फॉर्म 6 भरना और निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना 18
    - v) राष्ट्रीय व राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों की तुलना 20
    - vi) अपने उम्मीदवार को जानें 21
    - vii) शब्दों के खेल 24
    - viii) राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए गतिविधि–निबन्ध लेखन प्रतियोगिता 28
14. संक्षिप्त नाम और शब्दावली 29

Published in 2018 by the Election Commission of India
Nirvahcan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, 110001
Re Print- 2019

Text, Photographs and Illustrations Copyright © Election Commission of India

हर वोट महत्वपूर्ण है

1. परिचय

हमारे देश में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब बनाए जा रहे हैं। यह क्लब हर उम्र के भारतीय नागरिकों को रोचक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से निर्वाचन साक्षरता देने का काम करेंगे। निर्वाचन साक्षरता दी जाएगी। साक्षरता देने का तरीका ऐसा होगा कि लोग व्यावहारिक रूप से अनुभव प्राप्त कर सकें। यह सारा काम अपक्षपाती और तटस्थ रहकर किया जाएगा।

निर्वाचन साक्षरता क्लब देश भर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य 14–17 वर्ष के भावी मतदाता हैं, जो 9 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। इन्हें निर्वाचन साक्षरता क्लाब– भविष्य के मतदाता कहा जाएगा।

कक्षा 9, 10, 11 व 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी क्लब के सदस्य होंगे। नीचे के खण्डों में विस्तार से बताया गया है कि निर्वाचन साक्षरता क्लब कैसे बनाए जाएँगे, इनके प्रतिभागी और संयोजक कौन होंगे, ये कहाँ और कैसे संचालित किए जाएँगे और इनमें कौन सी गतिविधियाँ संचालित होंगी।

2. उद्देश्य

निर्वाचन साक्षरता क्लब के उद्देश्य इस प्रकार हैं–

I. लक्ष्य–समूह को मतदाता पंजीकरण, चुनाव–प्रक्रिया और अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से शिक्षित करना;

ii. प्रतिभागियों को ई.वी.एम. और वी.वी.पैट. से परिचित कराना और उन्हें ई.वी.एम. की मजबूती और ई.वी.एम. का प्रयोग करके सम्पन्न होने वाली चुनाव–प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में बताना;

iii. अपने वोट का महत्त्व समझने में लक्ष्य–समूह की मदद करना, साथ ही, वे अपने मताधिकार का प्रयोग पूरे विश्वास के साथ, सुविधाजनक तरीके से तथा नैतिकता के साथ कर सकें, इसमें उनकी सहायता करना;

iv. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य समुदाय में निर्वाचन साक्षरता का प्रसार कर सकें, इसके लिए उनकी क्षमता–वृद्धि करना;

v. जो सदस्य 18 वर्ष की आयु के हो जाएँ, उन्हें मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने में मदद करना;

vi. चुनावों में भागीदारी करने और सोच–समझकर व नैतिकता के साथ वोट देने की संस्कृति विकसित करना, साथ ही, इस सिद्धान्त का पालन करने पर जोर देना कि **'हर वोट महत्त्वपूर्ण है'** तथा **'कोई मतदाता न छूटे'**।

3. स्वरूप

निर्वाचन साक्षरता क्लब हर कक्षा व वर्ग (सेक्शन) के लिए होगा। यद्यपि हर विद्यालय–श्रेणी के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब भिन्न होंगे, और गतिविधियों का जो संग्रह होगा, वह खास तौर पर उस श्रेणी विशेष के लिए ही होगा, पर हर श्रेणी के विभिन्न वर्गों के लिए गतिविधियाँ एक जैसी होंगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब एक निश्चित कक्षा/सत्र में कक्षावार गतिविधियाँ संचालित करेगा। कक्षा के सभी विद्यार्थी निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य होंगे।

4. सदस्य और कार्यकारिणी समिति

विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे निर्वाचन साक्षरता क्लब को कार्यकारिणी समिति के एक निर्वाचित समूह के माध्यम से चलाएँ, जिसमें हर वर्ग (सेक्शन) के चुने हुए प्रतिनिधि हों। इन चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व होगा– निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों का आयोजन करना। वे विद्यालय के नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन और देखरेख में व उनकी सलाह से काम करेंगे।

विकल्प के रूप में, विद्यालय अपने शिक्षकों के माध्यम से भी गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं, जो कक्षा के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करेंगे।

5. नोडल अधिकारी और उनके दायित्व

विद्यालय के मानविकी विभाग के एक या दो शिक्षक निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे सम्बन्धित निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयोजक के रूप में भी कार्य करेंगे। चुनावी दायित्व निभाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को इस कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उनके मुख्य दायित्व होंगे–

i. जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उससे समन्वयन करना। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए निर्वाचन साक्षरता के संसाधन ऑनलाइन या किसी अन्य तरीके से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे।

ii. विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने वाले शिक्षकों के लिए निर्दिष्ट संसाधनों/उपकरणों/साधनों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

iii. निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करना।

iv. निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों का भावी मतदाताओं के कौशल विकास हेतु व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से उपयोग करवाना।

v. विद्यालय के चुनावों को निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधि के अनुसार मार्गदर्शन देना।

vi. नए संसाधनों का निर्माण करने का प्रयास करना और तैयार करके उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना।

vii. विद्यार्थियों/कार्यकारिणी समिति की सलाह से गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर बनाना।

viii. कक्षा 12 के विद्यार्थियों के नामांकन की व्यवस्था करना, जब वे पात्र हो जाएँ।

नोट– नोडल अधिकारी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को निर्वाचन साक्षरता क्लब के कार्यकलापों में शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

6. संयोजक

हर कक्षा के लिए एक शिक्षक नियत होगा, जो निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करेगा। विकल्प के रूप में, शिक्षकों का एक समूह भी हो सकता है, जो विभिन्न कक्षाओं के निर्वाचन साक्षरता क्लबों की गतिविधियाँ संचालित करें। शिक्षकों का प्रशिक्षण नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों को संचालित करने में नोडल अधिकारी ही शिक्षकों का मार्गदर्शन करेंगे। पुरुष एवं महिला संयोजकों के मध्य समुचित संतुलन बनाए रखना होगा।

7. आयोजन–स्थल

निर्वाचन साक्षरता क्लब की अधिकांश गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कक्षा का कक्ष ही आयोजन–स्थल होगा। पर कुछ गतिविधियाँ विद्यालय के सभागार (ऑडिटोरियम) या विद्यालय के खेल के मैदान में आयोजित की जा सकती हैं।

8. निर्वाचन साक्षरता क्लब के सत्र

क्लब में गतिविधि आधारित सत्र होंगे और कुछ गतिविधियाँ एक से अधिक निर्वाचन साक्षरता क्लबों के लिए एक साथ आयोजित की जाएँगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब के विभिन्न स्तरों के लिए अलग–अलग गतिविधियाँ होंगी, और, इस कारण, उनके लिए एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित किए गए घंटे/सत्र कुल 6 से 8 घंटे तक के होंगे।

9. गतिविधियों का प्रस्तावित क्रम

निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों के लिए नीचे एक प्रस्तावित क्रम दिया गया है–

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	
अप्रैल	निर्वाचित्र– फिल्म प्रदर्शन	45 मिनट
जुलाई	लोकसभा 2019 फिल्म प्रदर्शन	60 मिनट
अगस्त-सितम्बर	अपने उम्मीदवार को जानें	30 मिनट प्रारम्भिक चर्चा के लिए 60 मिनट प्रस्तुतीकरण के लिए
अक्टूबर	फॉर्म 6 भरना और पंजीकृत होना	30 मिनट
नवम्बर	शब्दों के खेल	30 मिनट
जनवरी	निबन्ध लेखन प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		4 घंटे 30 मिनट (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

10. गतिविधियाँ

कक्षा 12 के लिए इस निर्वाचन साक्षरता मार्गदर्शिका में **4 गतिविधियों** और उन्हें संचालित करने के तरीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमें से फिल्म का प्रदर्शन गतिविधि कक्षा 12 के निर्वाचन साक्षरता क्लब के केवल पहले बैच के लिए आयोजित होगी। सभी गतिविधियों को आयोजित करना आवश्यक नहीं है। समय की उपलब्धता के आधार पर गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।

11. सत्रों का स्वरूप

हर एक निर्वाचन साक्षरता क्लब सत्रों के नीचे दिए गए सत्र स्वरूप को अपनाएगा–

सभा (असेम्बली)– निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य जब अपने कार्यक्रम–स्थल पर इकट्ठे होंगे, तो एक–दूसरे का स्वागत/अभिवादन करेंगे। इसके बाद संयोजक 5–10 मिनट में पिछले सत्र में सीखी गई बातों और अनुभवों को दोहराएँगे।

गतिविधि का संचालन– संयोजक सत्र के लिए निश्चित की गई गतिविधि को संचालित करेंगे। उन्हें इसके लिए तैयार होकर आना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र समय से समाप्त हो जाए।

3–2–1 के आधार पर सारांश बताना और फिर से याद दिलाना– सभी गतिविधियों में फिर से याद दिलाने की इस विधि को अपनाना चाहिए, जिसकी व्यक्तिगत गतिविधि विवरणों में भी व्याख्या की गई है। संयोजक निर्वाचन साक्षरता क्लब के विभिन्न सदस्यों से निम्नलिखित बातें पूछेंगे–

- 3 ऐसी बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
- 2 ऐसी बातें, जो वे याद रखेंगे।
- 1 ऐसी बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहते हैं। (यहाँ विद्यार्थी गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

12. दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेश

निर्वाचन साक्षरता क्लब समावेशी क्लब होगा, जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाएगी।

- संयोजक उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनके प्रति क्लब के सदस्यों को संवेदनशील बनाने की कोशिश करेंगे।
- यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ ऐसे स्थान पर हों, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके।
- अगर कोई ऐसा विद्यार्थी बैठक में शामिल हो रहा है, जो सुन नहीं सकते, तो उसकी सुविधा के लिए इशारों की भाषा समझने वाले दुभाषिये का इन्तजाम करना चाहिए। (यह दुभाषिया विद्यार्थी का कोई साथी हो सकता है, जो उसके लिए पहले से यह काम कर रहा हो।)
- क्लब की किसी भी गतिविधि में दिव्यांग विद्यार्थियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

13. गतिविधियाँ (निर्देशों सहित)

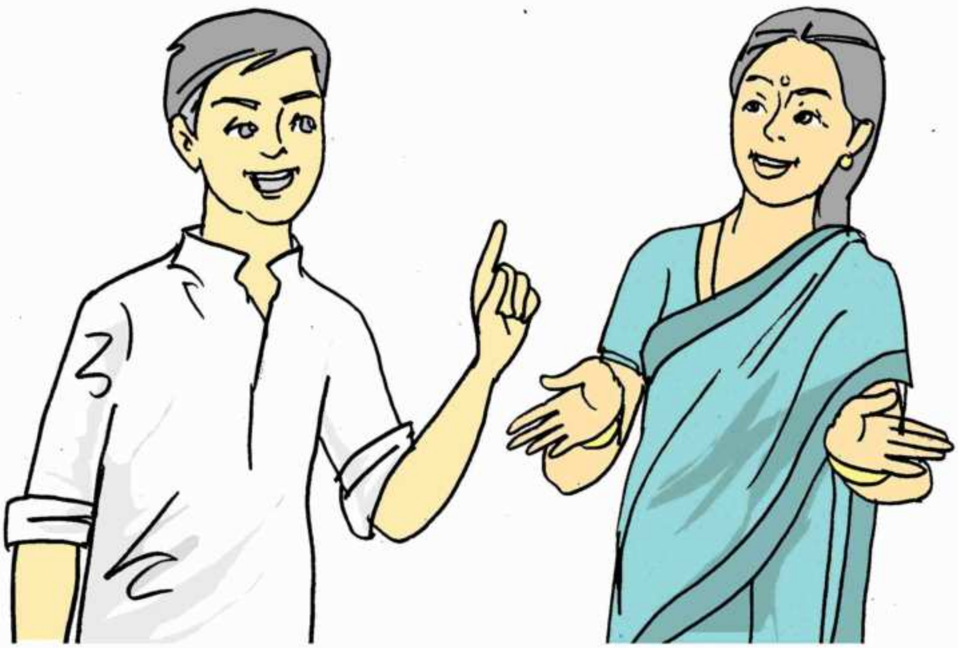

गतिविधि : चुनाव पत्रिका के लिए योगदान–

रूपरेखा

चुनाव पत्रिका के पीछे विचार यह है कि निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित सूचनाओं और संदेशों को मनोरंजक, कल्पनाशील और रोचक ढंग से प्रस्तुत करके लोगों तक पहुँचाया जाए। साथ ही, इसे तैयार करने में सभी विद्यार्थियों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इस काम के लिए विद्यालय के किसी मुख्य हिस्से की दीवार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे **'निर्वाचन साक्षरता दीवार'** कहा जाएगा। दीवार पर निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित विभिन्न विषय-सामग्री प्रदर्शित की जाएँगी। यह सामग्री दीवार पर चिपकाई जा सकती है या पिन की मदद से लगाई जा सकती है या, अगर इजाजत मिले तो, रंगों से लिखी भी जा सकती है।

चुनाव पत्रिका को कक्षा 9 के निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा संयोजित किया जाएगा। कक्षा 12 के विद्यार्थी दीवार पत्रिका में विषय-सामग्री के रूप में योगदान करेंगे।

चुनाव पत्रिका की विषय-सामग्री हर सप्ताह या पन्द्रह दिन में बदल जाएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विद्यार्थियों से कितनी विषय-सामग्री प्राप्त होती है।

विद्यार्थी दीवार पत्रिका के लिए विषय-सामग्री तैयार करने में कक्षा 9 के सदस्यों की मदद करेंगे।

चुनाव पत्रिका के लिए मुख्य विषय (थीम)

नीचे चुनाव पत्रिका के लिए मुख्य विषयों और सम्भावित उप विषयों की सूची दी गई है–

1. लोकतंत्र– लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार
2. मेरा वोट मेरा अधिकार है
   - वोट का मूल्य
3. समावेशी चुनाव : हर वोट का महत्त्व बराबर है
4. पंजीकृत होना
   - 18 वर्ष – पात्रता की उम्र
   - मतदाता सूची
5. मतदाता कार्ड / मेरा इपिक – ई.पी.आई.सी. (निर्वाचक फोटो पहचान प्त्र)

6. चुनाव कौन लड़ सकता है ?
    - पात्रता
    - उम्मीदवार बनने के विभिन्न चरण
7. सोच–समझकर व नैतिकता के साथ मतदान
    - क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए
    - आदर्श आचार संहिता; उम्मीदवार के कदाचार की शिकायत कहाँ करें
8. ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और वी.वी.पैट. (वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल)
    - वोट की गोपनीयता
    - ई.वी.एम./वी.वी.पैट. के माध्यम से होने वाले चुनावों में चुनाव-प्रकिया की विश्वसनीयता
9. नोटा (NOTA)
    - नोटा (NOTA – इनमें से कोई नहीं) का इस्तेमाल कब करें
    - अपने उम्मीदवार के बारे में जरूरी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करना
10. निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग/राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एन.वी.डी.)

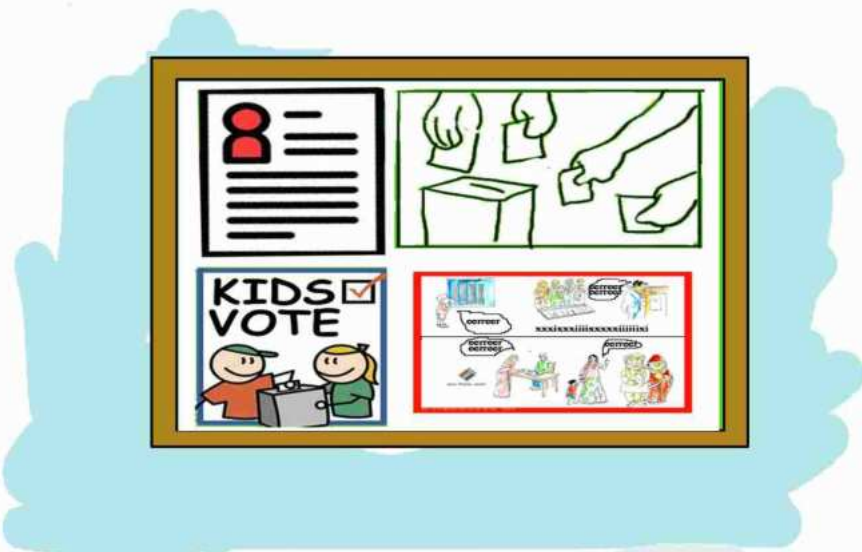

गतिविधि : निर्वाचित्र – फिल्म प्रदर्शन

रूपरेखा

यह गतिविधि एक मनोरंजक फिल्म/स्टोरी स्क्रोल के माध्यम से चुनाव-प्रक्रिया और उसकी कार्य-प्रणाली के बारे में बताती है। इसके बाद इसमें सम्बन्धित विषय पर सूचनाओं के प्रसार के लिए पोस्टरों का प्रयोग किया जाता है।

नोट : ***यह गतिविधि केवल कक्षा 12 के निर्वाचन साक्षरता क्लब के पहले बैच के सदस्यों के लिए आयोजित की जाएगी।***

शिक्षण अधिगम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी–

i. जान सकेंगे कि मतदाता बनने की पात्रता की उम्र 18 वर्ष है।

ii. मतदाता के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया और इसके लिए भरे जाने वाले फॉर्मों से परिचित हो सकेंगे।

iii. वोट के मूल्य को समझ सकेंगे।

iv. बूथ लेवल ऑफीसर की भूमिका के बारे में जान सकेंगे, जो मतदाता से सम्पर्क करने का पहला सिरा है, और उन्हें चुनाव-प्रक्रिया से अवगत कराता है।

संसाधन

i. मस्ती दोस्ती मतदान (12 मिनट की ऐनीमेटेड लघु फिल्म)

ii. अभय और आभा (चित्रात्मक पुस्तक/स्टोरी स्क्रोल)

iii. लोकतंत्र एक्सप्रेस (ऑडियो कहानी)

iv. पंजीकरण और मतदान पर फ्लिप चार्ट

नोट : जहाँ फिल्म दिखाना सम्भव नहीं है, वहाँ वैकल्पिक संसाधनों के रूप में चित्रात्मक पुस्तक, ऑडियो कहानी या फ्लिप चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आवश्यक सामग्री

i. स्क्रीन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और स्पीकर

ii. हर विद्यार्थी के लिए नोट बुक और पेन

iii. चार्ट पेपर और बोल्ड मार्कर

अवधि : 45 मिनट

समय : अप्रैल का पहला सप्ताह

विधि

1. फिल्म दिखाने/फिलप चार्ट का प्रदर्शन करने से पहले संयोजक विद्यार्थियों के बीच थोड़ी देर निर्वाचन और उनमें भागीदारी पर अनौपचारिक विचार-विमर्श कराएँगे। इसका उद्देश्य होगा– विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण के विषय से परिचित कराना। विचार-विमर्श के बीच संयोजक इस विषय पर विद्यार्थियों के ज्ञान/जानकारी को परखेंगे।

2. संयोजक यह पूछकर विचार-विमर्श शुरू कर सकते हैं कि –
   - भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं ?
   - क्या आप जानते हैं कि वे प्रधानमंत्री कैसे बने ?
   - लोकतंत्र क्या है ?
   - लोकतंत्र, शासन का इतना लोकप्रिय प्रकार/तरीका क्यों है ?
   - लोकतंत्र में हर आवाज कैसे सुनी जाती है ? (चुने हुए प्रतिनिधि)
   - लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं ? (निर्वाचन)
   - हमारी आवाज सुनी जाए, इसके लिए कौन सा साधन काम में लिया जाता है ? (वोट)
   - क्या आप समझते हैं कि चुनाव महत्त्वपूर्ण हैं ? आपका वोट महत्त्वपूर्ण क्यों है ?

3. अब संयोजक को 14–17 आयु-वर्ग के बारे में बात करनी चाहिए, जो भारत के भावी मतदाता हैं। संयोजक को इस बात पर खास ध्यान दिलाना चाहिए कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएँ तो उनमें से हर एक के लिए मतदान करना कितना महत्त्वपूर्ण है।

4. इसके बाद संयोजक को निर्वाचन साक्षरता क्लब के विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि क्या वे मतदान के लिए तैयार हैं ?

5. संयोजक प्रश्न को अधूरा छोड़कर फिल्म दिखाना शुरू कर दें। जहाँ फिल्म दिखाना सम्भव न हो, वहाँ संयोजक फ्लिप चार्ट / चित्रात्मक पुस्तक दिखाएँगे या ऑडियो कहानी सुनाएँगे।

6. इसके बाद कक्षा एक वृहद् विचार-विमर्श में शामिल होगी, जो वोट के महत्त्व पर केन्द्रित होगा। विद्यार्थियों से कहा जाएगा कि वे अपने क्षेत्र में हुए चुनावों में से उस पहले चुनाव की यादें ताजा करें, जो उन्होंने देखा हो। भले ही इसमें उनके माता-पिता / अभिभावक / रिश्तेदार / पड़ोसियों ने भाग लिया हो या न लिया हो।

7. इसके बाद विद्यार्थियों को चार्ट पेपर और रंगीन पेन्सिलें दी जाएँगी। उनसे कहा जाएगा कि वे एक पोस्टर बनाएँ, जिसमें या तो यह दर्शाएँ कि फिल्म से कौन सी खास बातें उन्होंने ग्रहण की हैं, या उसमें चुनाव और मतदान के महत्त्व को बताएँ।

8. फिर संयोजक सभी पोस्टरों को इकट्ठा करेंगे और एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे। पोस्टरों को बहुत सँभालकर रखना चाहिए, क्योंकि ये पोस्टर भविष्य में निर्वाचन साक्षरता क्लब वाली जगह को सजाने के काम आएँगे, या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विद्यालय में लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में काम आएँगे।

9. **3–2–1 के आधार पर गतिविधि का सारांश करने और उसे फिर से याद दिलाने** के लिए संयोजक विभिन्न सदस्यों से नीचे लिखी बातें पूछेंगे–

   - 3 ऐसी बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
   - 2 ऐसी बातें, जो वे याद रखेंगे।
   - 1 ऐसी बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहते हैं। (यहाँ सदस्य गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

गतिविधि : लोकसभा चुनाव 2014 पर फिल्म का प्रदर्शन

रूपरेखा

इस गतिविधि से विद्यार्थियों को यह पता चलेगा कि भारत में चुनाव किस प्रकार से सम्पन्न किए जाते हैं।

शिक्षण अधिगम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि के पूरा होने के बाद विद्यार्थी–

I. विशालतम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में जान सकेंगे।

ii. निर्वाचक-समूह के आकार के बारे में जान सकेंगे।

iii. चुनाव के लिए किए जाने वाले कार्य की विशालता को जान सकेंगे।

iv. भारतीय चुनावों के महत्त्व का समझ सकेंगे।

संसाधन

i. लोकसभा चुनाव 2019 फिल्म

आवश्यक सामग्री

i. स्क्रीन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप और स्पीकर

ii. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नोटबुक और पेन

अवधि : 45 मिनट

समय : गर्मी की छुट्टियों के बाद का पहला सत्र।

विधि

1. फिल्म के प्रदर्शन से पहले संयोजक विद्यार्थियों से थोड़ी देर चुनावों और चुनावों में भागीदारी पर एक अनौपचारिक चर्चा करेंगे, और उनसे कहेंगे कि वे भारत के लोकसभा चुनावों पर अपने विचार बताएँ।
2. इसके बाद संयोजक बताएँगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनाव-प्रक्रिया सम्पन्न कराने का प्रबन्धन करना कितना मुशकिल/बड़ा काम है।

3. चर्चा के बाद संयोजक फिल्म दिखाएँगे।

4. <u>**3–2–1 के आधार पर गतिविधि का सारांश करने और उसे फिर से याद दिलाने के लिए**</u> संयोजक विभिन्न सदस्यों से नीचे लिखी बातें पूछेंगे–

- 3 ऐसी बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
- 2 ऐसी बातें, जो वे याद रखेंगे।
- 1 ऐसी बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहेंगे। (यहाँ सदस्य गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

गतिविधि : फॉर्म 6 भरना और एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होना (यदि विद्यार्थी आने वाले साल की 1 जनवरी को या उससे पहले 18 साल का/की हो चुका/चुकी है या होने वाला/वाली है, तो मतदाता सूची में संशोधन के समय नामांकन किया जाएगा।)

रूपरेखा

इस गतिविधि का उद्देश्य है– भावी मतदाताओं को राष्ट्र के लोकतंत्र के सक्रिय निर्वाचकों में बदलना।

शिक्षण अधिगम (क्या सीखेंगे)

इस गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी जान सकेंगे कि–

I. पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 कैसे भरें।

ii. मतदाता पहचान पत्र/इपिक (ई.पी.आई.सी.) क्या है।

iii. एन.वी.एस.पी. क्या है।

संसाधन

i. बिना भरे हुए फॉर्म 6

अवधि : 30 मिनट

समय : राज्य में मतदाता सूची के संशोधन के समय।

नोट– संयोजक इस बात का ध्यान रखें कि राज्य में मतदाता सूची का संशोधन कब होने वाला है। यह जानने के लिए वे www.eci.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

विधि

1. संयोजक एक सत्र में विद्यार्थियों को यह बताएँगे कि फॉर्म 6 के विभिन्न खण्डों को कैसे भरना है।

2. पूरी बातें बताने के बाद संयोजक सभी विद्यार्थियों को नमूने का एक मतदाता पहचान

पत्र दिखाएँगे। इसे आधिकारिक रूप से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) कहा जाता है।

3. इसके बाद वे हर एक विद्यार्थी को फॉर्म 6 देंगे और उसे भरने के लिए कहेंगे।

4. विकल्प के तौर पर, संयोजक विद्यार्थियों से कह सकते हैं कि निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए www.nvsp.in पर आवेदन करें।

गतिविधि : राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों की तुलना करना (मानविकी के विद्यार्थियों के लिए)

रूपरेखा

जो कक्षा 12 के मानविकी वर्ग के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय व राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों, विचारधाराओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं और उनके सामान्य स्वरूप का गहराई से अध्ययन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उनकी तुलना करेंगे और उससे निष्कर्ष निकाल सकेंगे। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे चुनावी साक्षरता और नागरिक शिक्षा को जोड़कर इस विषय को जान सकेंगे, समझ सकेंगे, इसका विवेचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे और इस पर अपनी एक सोची-समझी राय बना सकेंगे।

विधि

1. यह गतिविधि विद्यार्थियों को सर्दी की छुट्टियों के दौरान करने के लिए दी जाएगी।
2. विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे राष्ट्रीय और राज्य–स्तरीय राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों को इकट्ठा करके उनका गहराई से अध्ययन कर लें।
3. विद्यार्थियों को 500 शब्दों में अपने विश्लेषण और निष्कर्षों की आख्या/रिपोर्ट तैयार करके सर्दी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर जमा करनी होगी।
4. आख्याओं की समीक्षा करने बाद संयोजक कक्षा में 15 मिनट की चर्चा कर सकते हैं।
5. **3–2–1 के आधार पर गतिविधि का सारांश करने और उसे फिर से याद दिलाने के लिए** संयोजक विभिन्न विद्यार्थियों से नीचे लिखी बातें पूछेंगे–
   - 3 ऐसी बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
   - 2 ऐसी बातें, जो वे याद रखेंगे।
   - 1 ऐसी बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहेंगे। (यहाँ सदस्य गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

गतिविधि : अपने उम्मीदवार को जानें

रूपरेखा

इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी यह सीखेंगे कि सोच-समझकर वोट देने का निर्णय लेने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानना कितना महत्त्वपूर्ण है।

शिक्षण अधिगम (क्या सीखेंगे)

गतिविधि को पूरा करने के बाद विद्यार्थी–

i. जान सकेंगे कि उम्मीदवारों के शपथ पत्र निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय/मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से मिल सकते हैं।

ii. अपने चुनाव–क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बारे में जान सकेंगे।

iii. सोच-समझकर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे।

आवश्यक सामग्री

i. स्मार्ट कक्षा (प्रोजेक्टर और अन्य उपकरणों से सज्जित)

ii. कम्प्यूटर (इण्टरनेट सहित)

अवधि : एक सप्ताह के अन्तर से दो सत्र।

पहले सत्र (30 मिनट) में गतिविधि के बारे में जानकारी व आवश्यक निर्देश देना।

दूसरे सत्र (45-60 मिनट) में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतीकरण।

समय : अगस्त और सितम्बर महीने में (या किसी भी समय, जब देश के किसी भी हिस्से में चुनाव होने वाले हों।)

विधि

I- जानकारी व निर्देश देने के लिए सत्र

1. विद्यार्थियों को गतिविधि के आयोजन से पहले उसके बारे में जानकारी व आवश्यक निर्देश दिए जाएँगे।

2. संयोजक ऐसे किसी राज्य को चिह्नित करेंगे (अपने राज्य के अलावा), जहाँ चुनाव होने वाले हों। वहाँ से विद्यार्थी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुन सकते हैं। संयोजक चयनित राज्य के किसी एक चुनाव–क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करेंगे। यह चुनाव–क्षेत्र संसदीय चुनाव–क्षेत्र भी हो सकता है और विधानसभा चुनाव–क्षेत्र भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संयोजक किसे उपयुक्त समझते हैं।

3. उम्मीदवारों की कुल संख्या के अनुसार कक्षा को समूहों में बाँट दिया जाएगा। हर समूह में 5 या 6 विद्यार्थी हो सकते हैं।

4. हर समूह को एक उम्मीदवार आवंटित कर दिया जाएगा। फिर विद्यार्थियों को अपने उम्मीदवार के बारे में 10 मिनट का प्रस्तुतीकरण तैयार करने का काम सौंपा जाएगा।

5. प्रस्तुतीकरण में निम्नलिखित बातें अवश्य शामिल होनी चाहिए–
   - उम्मीदवार का संक्षिप्त परिचय।
   - यदि वे निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हैं, तो उनके दल का नाम।
   - उम्मीदवार के शैक्षिक, आपराधिक और वित्तीय विवरणों की जानकारी। ये जानकारियाँ विश्वस्त स्रोतों से जुटानी चाहिए, जैसे– भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निवार्चन अधिकारी की वेबसाइट। इन वेबसाइटों पर उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए शपथ पत्र उपलब्ध रहते हैं।
   - उम्मीदवारों के बारे में समाचार पत्रों तथा अन्य मीडिया स्रोतों से प्राप्त जानकारी। विद्यार्थियों को एक सारणी तैयार करनी चाहिए, जिसमें यह बताया जाए कि उम्मीदवार के बारे में किस मीडिया ने क्या कहा।
   - उम्मीदवार के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक समाचार। (इसमें उम्मीदवार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया जा सकता है और उनके बारे में चल रही विवादास्पद बातों के बारे में भी।)
   - अन्त में, उम्मीदवार की समग्र अच्छाइयों और कमजोरियों के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करें।

6. संयोजक विद्यार्थियों को बताएँगे कि वे निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संयोजक उन्हें इनके पते भी बताएँगे।

II- प्रस्तुतीकरण सत्र (तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बाद)

1. निर्धारित सत्र में विद्यार्थियों के समूह अपने–अपने उम्मीदवारों पर एक–एक करके प्रस्तुतीकरण देंगे।
2. जब सभी समूहों का प्रस्तुतीकरण पूरा हो जाए तो संयोजक छोटी सी चर्चा शुरू करेंगे।
3. **इस चर्चा का उद्देश्य यह नहीं है कि विद्यार्थी उम्मीदवार का चयन करें, क्योंकि यह काम गोपनीय मतदान द्वारा किया जाता है।**
4. चर्चा केवल इस बात पर होनी चाहिए कि उम्मीदवार में कौन सी विशेषताएँ होनी चाहिए, और सोच–समझकर निर्णय लेने का क्या महत्त्व है।
5. **3–2–1 के आधार पर सारांश करने और गतिविधि को फिर से याद करने के लिए** संयोजक विभिन्न सदस्यों से नीचे लिखे बातें पूछेंगे–
   - 3 ऐसी बातें, जो आज उन्होंने सीखीं।
   - 2 ऐसी बातें, जो वे याद रखेंगे।
   - 1 ऐसी बात, जिसके बारे में वे और अधिक जानना चाहेंगे। (यहाँ सदस्य गतिविधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।)

गतिविधि : शब्द-पहेलियाँ

निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य इस गतिविधि में शामिल विभिन्न शब्द-पहेलियों को हल करेंगे। संयोजकों द्वारा सदस्यों को अपनी शब्द-पहेलियाँ बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनकी बनाई हुई शब्द-पहेलियाँ कक्षा 9 द्वारा तैयार की जाने वाली चुनाव पत्रिका में उनके योगदान के रूप में दी जा सकती हैं। इन्हें कक्षा 9, 10 और 11 के निर्वाचन साक्षरता क्लबों में बाँटा भी जा सकता है।

वर्ग पहेली

चुनावी वर्ग पहेली

नीचे दी गई वर्ग पहेली को हल करें

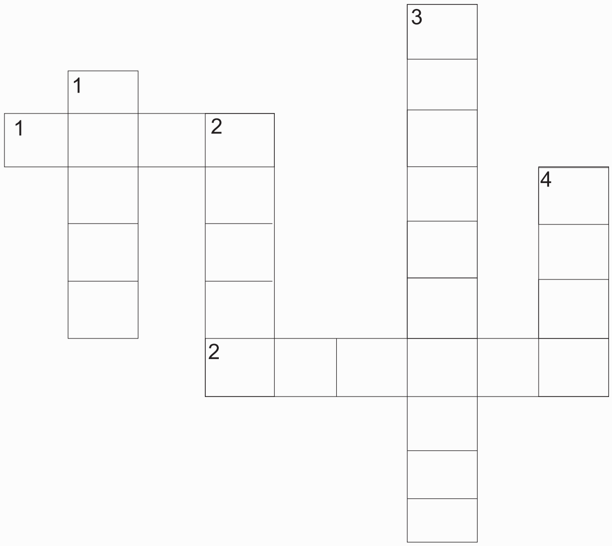

<u>बाएँ से दाएँ</u>

1. वोट देने के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन
2. उम्मीदवारों द्वारा भरा जाने वाला परचा

<u>ऊपर से नीचे</u>

1. वह मशीन, जिससे पता चल जाता है कि हमारा वोट उसी उम्मीदवार को पड़ा है, जिसे हमने दिया था
2. वोटों की गिनती
3. एक संवैधानिक संस्था, जो हमारे देश में चुनाव–प्रक्रिया सम्पन्न कराती है
4. जहाँ मशीन से वोट नहीं दिए जाते, वहाँ इस पर निशान लगाकर वोट दिया जाता है

शब्द खोजें

भारतीय लोकतंत्र सम्पन्न और जीवन्त है। नीचे दी गई शब्द पहेली से चुनावों और लोकतंत्र से सम्बन्धित बीस शब्द खोजें।

सं	वि	धा	न	सं	शो	ध	न	की	ना
स	धा	ज	भा	सा	ई	सु	त	ला	ब
द	न	धा	र	ह	वी	वी	पी	ए	टी
नि	स	वी	त	जी	ए	क्षे	श	ग	र
र्वा	भा	र	नि	का	म	त	ग	ण	ना
च	ल	नि	र्वा	च	क	म	ह	क	ना
क	वि	रा	च	ह	ल	त	क	रा	मु
फो	टा	गे	न	पु	रे	दा	ष	म	ह
टो	चु	ना	आ	गा	म	ता	धि	का	र
प	ना	ह	यो	ज	त	स	ल	गा	ह
ह	व	रा	ग	नी	दा	ना	मां	क	न
चा	क्षे	ज	फा	ने	न	जो	हा	कु	म
न	त्र	नी	रा	ज	के	तु	रा	ह	गी
प	सं	ति	वि	के	न्द्र	स	र	का	र
त्र	श	क	स	घो	ष	णा	प	त्र	नो
उ	म्मी	द	वा	र	भा	र	ही	ता	टा
क	जा	ल	ति	क	दा	व	जी	घ	र

शब्द कुंजिका

संविधान संशोधन	विधानसभा
भारत निर्वाचन आयोग	संसद
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र	घोषणा पत्र
निर्वाचक	चुनाव-क्षेत्र
नोटा	मुहर
वी वी पी ए टी	मतगणना
नामांकन	ई वी एम
राजनीतिक दल	मतदाता
उम्मीदवार	केन्द्र सरकार
मतदान केन्द्र	मताधिकार

शब्द गोलमोल

नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखें–

1. दामनत

2. चारआ हितासं

3. नज धिप्रनिति

4. पतायगोनी

5. तातदाम

6. दातमन काधिरीअ

शब्द गोलमोल पहेली में एक गुप्त शब्द भी है। उसे ढूँढ़िए।
क्या आपने हमारा गुप्त शब्द ढूँढ़ लिया ? रंगीन खानों में दिए गए अक्षरों को एक जगह लिखें। अब उनसे शब्द बनाएं। क्या शब्द मिला ?

संकेत – यह शब्द 5 वर्णों का है। इसका उपयोग करके हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।

विधि

इस गतिविधि के लिए शब्द-पहेलियों को छपवाकर या फोटोकॉपी करवाकर सदस्यों को बाँटा जा सकता है। इसके लिए बोर्ड पर भी पहेली बनाई जा सकती है, जिसे एक साथ कई सदस्य हल कर सकते हैं।

हर वोट महत्वपूर्ण है

गतिविधि : राष्ट्रीय मतदाता दिवस– निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

प्रतियोगिता चुनावों और प्रतिनिधि लोकतंत्र से जुड़े विषयों पर आयोजित की जाएगी। विषयों के कुछ उदाहरण हैं–

- भारत निर्वाचन आयोग के बिना भारत
- यह जानना कि आप क्या नहीं चाहते : नोटा
- वोट कैसे करे भारत ?

संक्षिप्त नाम व शब्दावली

1. **आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.)–** यह विभिन्न प्रकार के दिशा–निर्देश हैं, जो चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आचार–व्यवहार से सम्बन्धित हैं। ये दिशा–निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मुख्यतया भाषणों, मतदान दिवस, मतदान केन्द्रों, चुनाव घोषणा पत्रों, जुलूसों और सामान्य आचार–व्यवहार के सम्बन्ध में हैं। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा किए जाने के साथ ही लागू हो जाती है। इसका उद्‌देश्य है– स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।

2. **इपिक : इलेक्टर्स फोटो आइडेण्टिटी कार्ड (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र)–** यह कार्ड निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी निर्वाचकों को जारी किया जाता है। यह पहचान पत्र मतदान के समय उस निर्वाचक की पहचान करने के काम आता है।

3. **ई.आर.ओ. : इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफीसर (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी)–** चुनाव–क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से सम्बन्धित राज्य सरकार के किसी अधिकारी को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में मनोनीत/नामित करता है। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अपने कार्य–क्षेत्र में आने वाले चुनाव–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत होते हैं।

4. **ई.वी.एम. : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन–** ई.वी.एम. एक मशीन है, जो चुनाव के दौरान निर्वाचकों द्वारा वोट दिए जाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें दो इकाइयाँ होती हैं– एक नियंत्रण इकाई (कण्ट्रोल यूनिट) और एक मतपत्र इकाई (बैलटिंग यूनिट)। मतदाता को मतपत्र देने के बजाय नियंत्रण इकाई का मतदान अधिकारी मतपत्र बटन दबाएगा। इसके बाद मतदाता मतपत्र इकाई पर अपनी पसन्द के उम्मीदवार और चुनाव चिह्न के सामने लगे नीले बटन को दबाकर अपना वोट दे सकता है।

5. **एन.वी.एस.पी. : नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल** (www.nvsp.in) यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट है, जो नागरिकों और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से सम्बन्धित कुछ ई–सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

6. **एन.वी.डी. : नेशनल वोटर्स डे (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)**– यह दिवस मतदाताओं, विशेष रूप से युवा मतदाताओं, का नामांकन बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जाता है।

7. **उम्मीदवार**– चुनावी भाषा में उम्मीदवार वह व्यक्ति है, जो चुनाव लड़ रहा है।

8. **डी.ई.ओ. : जिला निर्वाचन अधिकारी**– भारत चुनाव आयोग सम्बन्धित जिला प्रशासन के मुखिया (कलक्टर, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मनोनीत करता है। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में काम करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले या अपने कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत संसद, विधानसभा और निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनमें संशोधन करने के काम की देखरेख करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास चुनाव केन्द्र उपलब्ध कराने, चुनाव केन्द्रों की सूची प्रकाशित कराने और चुनाव के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने का दायित्व होता है।

9. **चुनाव**– निर्णय लेने की एक औपचारिक प्रक्रिया, जिसके द्वारा लोग अपने जन–प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

10. **चुनाव–प्रचार**– एक ऐसी कोशिश, जिसमें कोई राजनेता या राजनीतिक दल लोगों को अपने हक में वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं।

11. **जनमत संग्रह**– किसी ऐसे राजनीतिक मुद्दे पर निर्वाचकों द्वारा वोट देना, जो उनके सामने निर्णय लेने के लिए लाया गया हो।

12. **दिव्यांग**– ऐसे निर्वाचकों का समूह, जो किसी न किसी शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हैं और, इस कारण, उन्हें चुनावों के समय विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है।

13. **नामांकन**– किसी उम्मीदवार को प्रस्तावित करना या औपचारिक रूप से चुनाव में दाखिल होना।

14. **निर्वाचक**– एक पंजीकृत व्यक्ति, जो चुनावों में वोट देने के लिए पात्र है।

15. **निर्वाचक नामावली–** निर्वाचक नामावली वह सूची है, जिसमें किसी चुनाव–क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों के नाम दर्ज रहते हैं, जो निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं। सामान्यतया इसे 'मतदाता सूची' कहा जाता है। उपयुक्त प्रबन्ध–व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी चुनाव.क्षेत्र की निर्वाचक नामावली को कई भागों में बाँटा जाता है, जिनमें अलग–अलग मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में आने वाले निर्वाचकों का विवरण दर्ज रहता है।

16. **निर्वाचन प्रक्रिया–** लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन के लिए जो विभिन्न कार्यकलाप मतदाताओं, चुनाव से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों व अन्य सहभागियों द्वारा किए जाते हैं।

17. **निर्वाचन में भागीदारी–** चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों में स्वयं को शामिल करना – एक मतदाता के रूप में, चुनाव अधिकारी/कर्मचारी के रूप में, उम्मीदवार, राजनीतिक दल के रूप में या लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार में किसी अन्य सहभागी के रूप में।

18. **निर्वाचन क्षेत्र–** वह क्षेत्र, जिसके मतदाता संसद/विधानसभा/निकायों के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं।

19. **निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफीसर)–** निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से सम्बन्धित राज्य सरकार के किसी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित/मनोनीत करता है। वह अपने निर्वाचन–क्षेत्र में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव कराने का दायित्व निभाता है।

20. **नोटा (NOTA) : इनमें से कोई नहीं–** यह विकल्प अक्टूबर 2013 से अपनाया जाने लगा है। सभी ई.वी.एम. और मतपत्रों पर यह विकल्प होता है। यह विकल्प उन मतदाताओं के लिए है, जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते, पर अपने निर्णय को गुप्त रखते हुए मताधिकार का प्रयोग भी करना चाहते हैं।

21. **पीठासीन अधिकारी–** पीठासीन अधिकारी (मतदान अधिकारियों की मदद से) मतदान केन्द्र पर मतदान संचालित कराता है।

22. **पंचायत–** भारत में पंचायती राज, शासन–व्यवस्था की एक पद्धति है, जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की प्राथमिक इकाई होती है। इस

पद्धति के तीन स्तर हैं– ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), मण्डल परिषद् या क्षेत्र पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), तथा जिला पंचायत (जिला स्तर)।

23. **बी.एल.ओ. : बूथ लेवल ऑफीसर**– एक स्थानीय सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्थानीय मतदाताओं से परिचित होते हैं, और सामान्यतः उसी मतदान क्षेत्र के मतदाता होते हैं। वे अपनी स्थानीय जानकारी का प्रयोग करके मतदाता सूची को अद्यतन बनाने में सहायक होते हैं। वे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की देखरेख में काम करते हैं, और, जो मतदाता क्षेत्र उन्हें दिया गया है, उस क्षेत्र में सत्यापन करने, मतदाताओं से सम्बन्धित सूचनाएँ/आँकड़े एकत्र करने और मतदाता सूची या उसका एक हिस्सा तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है।

24. **मतदाता पंजीकरण**– वह कार्य व प्रक्रिया (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित), जिसमें किसी पात्र व्यक्ति का नामांकन करके उसे मान्यता प्राप्त मतदाता बनाया जाता है।

25. **मतदान**– किसी मुद्दे पर या चुनाव में अपनी मर्जी या पसन्द के भाव को प्रकट करना।

26. **मतदान केन्द्र**– यह वह कमरा/हॉल है, जो मतदान कराने के लिए निर्धारित किया जाता है। यहाँ सम्बन्धित मतदान क्षेत्र के मतदाता मतदान के दिन अपना वोट डालने के लिए आते हैं। इसे 'मतदान कक्ष' भी कहा जाता है।

27. **मताधिकार**– राजनीतिक चुनावों में वोट देने का अधिकार।

28. **वीवीपीएटी.: वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल**– वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनका मत उनके इच्छा के अनुरूप पड़ा है। जब कोई मत डाला जाता है, तो अभ्यर्थी के नाम, क्रम संख्या और प्रतीक वाली एक पर्ची मुद्रित होती है और 7 सेकेण्ड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से दिखाई देती है। उसके बाद, यह मुद्रित पर्ची स्वचालित रूप से कट जाती है और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है।

29. **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र**– राज्य विधानसभ के चुनावों में राज्य को कई

निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है, ताकि हर चुनाव–क्षेत्र में लगभग समान संख्या में निर्वाचक रहें।

30. **सी.ई.ओ. : मुख्य निर्वाचन अधिकारी**– ये चुनावों का प्रबन्धन करने, दिशा–निर्देशन देने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी होते हैं। ये राज्य में मतदाता सूची की तैयारी, उसके पुनरीक्षण और उसमें संशोधन करने के काम की देखरेख भी करते हैं।

31. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार**– मतदान का अधिकार सभी वयस्क नागरिकों को दिया गया है। इसमें जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता।

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

हर वोट महत्वपूर्ण है

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

हर वोट महत्वपूर्ण है

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

संयोजक की टिप्पणी

निर्वाचन साक्षरता क्लब

कोई मतदाता न छूटे

भारत निर्वाचन आयोग

eci.gov.in / nvsp.in / ecisveep.nic.in

@ECI @ecisveep @ECIsveep